

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2023/  
दिनांक:

:-आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आ. जाँच कार्यक्रम/2023-24/  
3934 दिनांक 28.06.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र० सं०	कार्यक्रम में गठित जाँच दल	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	आदेशित अंकेक्षण लेखावधि	पूर्व में निर्धारित अंकेक्षण तिथि	अंकेक्षण हेतु संशोधित तिथि
12.	श्री चौथमल वर्मा AAO-I श्री चन्द्रमोहन मालव AAO-I जोन-कोटा	सीएचसी भदोसर (चित्तौड़गढ़)	04/17 से 03/23	—	06.09.23 से 30.09.23
10	श्री गोविन्द शर्मा AAO-I श्री धर्मेन्द्र केवलरामानी AAO-II जोन-अजमेर	सीएचसी टाटगढ़ (अजमेर)	04/16 से 03/23	24.08.23 से 13.09.23	24.08.23 से 05.09.23
		सीएचसी माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)	04/15 से 03/23	14.09.23 से 06.10.23	06.09.23 से 29.09.23

SD  
वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक: ८-९-२३

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2023/5202

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-कोटा/अजमेर।
2. श्री चौथमल वर्मा AAO-I एवं श्री चन्द्रमोहन मालव, AAO-I जोन-कोटा को पालनार्थ।
3. श्री गोविन्द शर्मा AAO-I एवं श्री धर्मेन्द्र केवलरामानी, AAO-II जोन-अजमेर को पालनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।

24  
उप वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर